राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता प्रतापगढ़ (राज.)
Email :- pratapgarh.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक :–म.अ.प्र. / 2022–23 / 532 दिनांक :– 20-06-2022

संशोधित निविदा सूचना :– 01

इस कार्यालय की खुली ई–निविदा संख्या 01 / 2022–23 में निम्न संशोधन किये जाते है–

1. बोलीदाता (bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित एंव नियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम 1970 / संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसका बोली द्वाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है, तो वह तदनुसार वचन पत्र(Undertkaing) 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है। सफल बोलीदाता को पृथक से शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंध नियम 1970 / संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक हो तो तद्नुसार पंजीकरण करवाते हुए प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।(वित्त विभाग का पत्रांक एफ2(1) / एफ.डी. / एस.पी.एफ.सी. / 2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार)
2. निविदादाता को निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान के निर्देशों की पालना अनुरूप 5 वर्ष का महिला सशक्तीकरण के क्षैत्र में कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. संस्था / फर्म की नियमावली / उद्देशिका में मानव संसाधन की सेवाऐं उपलब्ध कराने का उददेृश्य व महिला कल्याण सम्बन्धित कार्य पर केन्द्रित होने का प्रावधान होना चाहिए।

मूल्यांकन कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :–

1. तकनीकी निविदा में सफल होने वाली फर्मों / संस्थाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। समस्त सेवाओं के योग के आधार पर न्यूनतम दर दाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित सेवाओं के मानदेय की दर एवं स्वयं का सेवा शुल्क(सर्विस चार्ज जो पूर्णाक रूपये 1,2,3....... में हो) की दरें प्रस्तुत की जानी है। ईएसआई,ईपीएफ एवं जीएसटी की विभागीय दरों से कम दरें नहीं भरी जा सकेगी।
3. यदि दो या दो से अधिक फर्मो / संस्थाओं का वित्तीय प्रस्ताव (दर) समान रहने की स्थिति में तकनीकी मापदण्ड एवं अग्र विवरण अनुसार निविदा कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा।

- वन स्टॉप सेन्टर संचालन का कार्य / अनुभव : प्रतिवर्ष 10 अंक (अधिकतम 30 अंक)
- संस्था का वार्षिक टर्नओवर : प्रति 25 लाख 5 अंक (अधिकतम 20 अंक)
- संस्था / फर्म या अध्यक्ष / सचिव को प्राप्त विभाग (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय / विभाग) की योजनाओं में श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार या सम्मान : जिला स्तर 5 अंक, राज्य स्तर 10 अंक व राष्ट्रीय स्तर 15 अंक
- विभागीय योजना / महिला शक्ति केन्द्र महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन में कार्य / अनुभव : प्रति तीन वर्ष 5 अंक (अधिकतम 15 अंक)

उक्तानुसार समान अंक की स्थिति में उस संवेदक को कार्यादेश दिया जा सकेगा, जिसका टर्नओवर अधिक हो, टर्नओवर समान की स्थिति में जिस संवेदक का पंजीकरण पूर्व का होगा उसे कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
प्रतापगढ